www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉप्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 07.03.2017

सीबीआई ने भारतीय रिजर्ब बैंक के दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन पर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के डी.जी.एम. एवं ए.जी.एम. और प्राइवेट फर्मो के तीन मालिक/ निदेशक व अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने क्षेत्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मुम्बई के डी.जी.एम. ; यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ज़ावेरी बाजार शाखा, मुम्बई के ए.जी.एम./ शाखा प्रबन्धक ; अलग-अलग फर्मो के तीन मालिक/ निदेशक ; एक प्राइवेट फर्म तथा अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 465, 468 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया।

ऐसा आरोप था कि दिनांक 15.11.2016 से 26.12.2016 की अवधि के दौरान, 47.45 करोड. रू. (लगभग) एवं 37.15 करोड. रू. (लगभग) की भारी नकद राशि के दस्तावेजों में हेरफेर के द्वारा मुम्बई की दो प्राइवेट फर्मो के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ज़ावेरी बाजार शाखा, मुम्बई के खातों में क्रमश: जमा दर्शाया। उक्त राशि को आगे ज्वैल वर्ल्ड, कल्बादेवी रोड, जावेरी बाजार, मुम्बई की एक अन्य प्राइवेट फर्म को स्थानान्तरित दर्शाया जो कि एक एन.पी.ए. खाता है, तथा बैंक की उक्त शाखा द्वारा प्रबन्धित किया गया है।

ऐसा आगे आरोप था कि 47.45 करोड. रू. (लगभग) एवं 37.15 करोड. रू. (लगभग) का नकद ज्वैल वर्ल्ड, कलबादेवी रोड, जावेरी बाजार, मुम्बई स्थित उक्त अन्य प्राइवेट फर्म द्वारा स्टैन्डर्ड चार्टेड बैंक/ अन्य अधिकृत बैंक से सोने की सीधी खरीद (नकद खरीद) के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की मुद्रा तिजोरी में पुरानी विमुद्रीकृत मुद्रा के नोटो में जमा किया। उक्त फर्मो के प्रतिनिधियों के द्वारा डी.जी.एम. एवं ए.जी.एम. के साथ कथित षड़यंत्र में कथित तौर पर मुद्रा तिजोरी में भारी नकद जमा की गई। इस प्रकार से, आरोपी व्यक्तियों ने दिनांक 08.11.2016 को जारी भारतीय रिजर्ब बैंक के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया।

आरोपी व्यक्तियों के आवासीय एवं कार्यालयी परिसरों सहित 12 स्थानों पर तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जॉच जारी है।

****